राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–2 / 2017 / 1000 दिनांक : 28/1/17

संशोधित सूचना

विश्वविद्यालय में भरे जाने वाले शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के सम्बन्ध में प्रवर्गवार आरक्षण निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 06–01–2017 एवं कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 16–01–2017 की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01 / संस्था.–2 / 2017 (क्रमांक संस्था.–2 / 2017 / 66), दिनांक 02–01–2017 के पृष्ठ संख्या–2 पर 'नोट' में अंकित बिन्दु संख्या–'2' को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

"उपरोक्त विज्ञापित पदों में विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग) के 03 प्रतिशत पद राज्य सरकार के दिनांक 26–07–2011 को प्रसारित नियमों में यथा प्रावधित आरक्षित हैं। इसी के साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत पद राज्य सरकार के नियमों के तहत आरक्षित रहेंगे। उक्त आरक्षण रु.4200 / – ग्रेड पे तक के पदों पर ही लागू होंगे।"

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–2 / 2017 / 1001 – 7 दिनांक : 28/1/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधित सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(2) वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(3) उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(4) निजी सचिव–कुलपति / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कुलसचिव